संख्या-6/2016/क0नि0-4- 183/11-2016-300(26)/2014

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊःदिनांक 08 मार्च, 2016**

विषयः-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-947/ट्रा0हॉस्टल- निर्माण/2015-2016/797/वाणिज्य कर, दिनॉक-17.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान परिसर में उपलब्ध भूमि पर ट्रांजिट हास्टल के निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 353.08 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख आठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट से रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
2. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रयोजना के अन्तर्गत कतिपय आन्तरिक फर्नीशिंग/इंटीरियर मद में कार्यमद यथा एल0सी0डी0 टेलीविजन,फ्रिज,इन्डक्शन स्टोव, विद्युत केटली,इन्डक्शन स्टोव वर्तन क्राकरी, सीलिंग फैन एक्जास्ट फैन आदि का क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन संलग्न किये गये है। इनका क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते है, तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आता है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

4. आगणन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना,प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा 03 माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त, वाणिज्य कर की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

11. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-आयोजनेत्तर-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ स्थित परिसर में ट्रांजिट हास्टल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के द्वारा प्रतिनिधानित प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उपसचिव।

संख्या- 6/2016/क0नि0-4- 183 (1) /11-2016 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-8, लखनऊ।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।